बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

BABU SHOBHARAM GOVT. ART'S COLLEGE, ALWAR

सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

समन्वयक
Convener

प्राचार्य
Principal

BABU SHOBHA RAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR

RIGHT TO INFORMATION COMMITTEE

PROGRESS REPORT

(SESSION 2017-18 TO 2023-24)

BY

Dr. RAJKUMAR GOYAL

(PROFESSOR IN POLITICAL SCIENCE)

&

CONVENOR

RTI COMMITTEE

BABU SHOBHA RAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR

RIGHT TO INFORMATION CCOMMITTEE

- **Dr. RAJKUMAR GOYAL** — **CONVENOR**
- **Dr. SATYADEV** — **MEMBER**
- **Dr. SUBHASH PALIWAL** — **MEMBER**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का अधिदेश करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो भारत सरकार और उसके साथ-साथ राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न लोक प्राधिकरणों द्वारा 'वेब' पर प्रकाशित की गई सूचना का अधिकार से संबंधित सूचना/प्रकटनों पर पहुंच के अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों में से प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि के ब्यौरे संबंधी सूचना को तत्काल खोजने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार पोर्टल गेटवे उपलब्ध कराता है।

❖ सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वैश्विक स्तर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (Universal Declaration of Human Rights) को अपनाया गया। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।

अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जैफरसन के अनुसार, "सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।"

भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम, 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज़ों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।
- प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
- इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
- यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर (यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।
- इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।
- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता-अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

- सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारतीय संसद द्वारा साल 2005 में पारित किया गया था। इसमें भारत के हर नागरिक को सरकारी संगठनों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इस कानून के अंतर्गत, जनता को सरकारी दफ्तरों, विभागों, मंत्रालयों, और सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है।

❖ सूचना की परिभाषा

इस कानून में सूचना की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बनाई गई सभी जानकारी शामिल होती है। सूचना में कागजात, डेटा, विद्यापीठों की जानकारी, नोटिस, अदेश, ईमेल, रिपोर्ट, लेख, निर्णय, प्रकाशन आदि शामिल हो सकते हैं।

❖ आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि भारत का रहने वाला कोई नागरिक सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो वह उस संगठन के नजदीकी सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन द्वारा अपनी याचिका भेज सकता है। आवेदन में संगठन के नाम, जिला, विभाग, और संदर्भित जानकारी का विवरण शामिल होना चाहिए। साथ ही, आवेदनकर्ता को अपना नाम, पता, आवासीय स्थान, और संपर्क की जानकारी देनी होगी।

❖ सूचना प्राप्ति की सीमा

सरकारी संगठन को सूचना देने के लिए निर्धारित समय सीमा होती है। आमतौर पर, संगठन के पास आवेदक की याचिका का जवाब देने के लिए 30 दिनों का समय होता है।

वहीं, अगर जो सूचना मांगी गई है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यदि इस समय सीमा में आवेदक को संगठन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो उसे अपील करने का अधिकार होता है।

❖ अपील प्रक्रिया

यदि संगठन द्वारा दी गई सूचना से आवेदक संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास अपील करने का अधिकार होता है। इसके लिए, आवेदक को संगठन के उच्चतम अधिकारी के पास अपील करनी होगी।

अपील करने के लिए आवेदक को उच्चतम अधिकारी के प्रति लिखित अपील दर्ज करनी होगी। इस अपील में आवेदक को अपने पहले के आवेदन के बारे में जानकारी देनी होगी।

❖ शुल्क की व्यवस्था

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। हालांकि, सूचना प्राप्त करने के लिए कॉपी, प्रिंट आउट, डिस्क या पोस्टेज के लिए कुछ शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क की राशि संगठन के नियमों और आवेदक के अनुरोध के आधार पर निर्धारित की जाती है।

❖ गोपनीयता

यह कानून गोपनीयता के मामलों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगर सूचना गोपनीय है और किसी कानूनी प्रावधान के तहत उसे जारी नहीं किया जा सकता है, तो संगठन को उसे जारी नहीं करना होता है। इससे संगठन की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होती है।

❖ सूचना प्राप्ति का अधिकार

नागरिकों को सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। वे सूचना के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और जानकारी के लिए अपील कर सकते हैं।

❖ जानकारी की गोपनीयता

नागरिकों को सूचना की गोपनीयता का संरक्षण मिलता है। सरकारी संगठनों को कानूनी नियमों का पालन करके गोपनीय जानकारी को छिपाने की अनुमति नहीं है।

❖ संगठनों का दायित्व

सरकारी संगठनों को सूचना प्रदान करने का दायित्व होता है। वे सूचना के लिए उपलब्ध होने के साथ-साथ आवेदनकर्ता को सही, पूर्ण और समयबद्ध जवाब देने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

❖ पारदर्शिता

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी संगठनों को पारदर्शिता बनाए रखने का दायित्व होता है। वे खुले और सार्वभौमिक ढंग से सूचना प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यों और निर्णयों के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी मिल सके।

❖ RTI कौन और कितनी बार अप्लाई कर सकता है?

जैसा की हम जानते हैं कि देश के हर नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में इस कानून को लागू किया गया है।

इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और वास्तविक तौर पर देखा जाए तो लोकतंत्र को लोगों के लिए सशक्त बनाना है। सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी या सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के पास यह एक बड़ा हथियार है।

❖ RTI कैसे फाइल करें?

आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको बस एक सादे कागज पर एक आवेदन लिखना होता है। इसमें संबंधित कार्यालय के P.I.O को संबोधित करते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से RTI को फाइल किया जा सकता है।

❖ कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किसी भी सरकारी संगठन से जानकारी प्राप्त कर सकता है या इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो आवेदक सूचना मांग रहा है, वह उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो, जहां से सूचना मांगी गई हो।

❖ RTI को कितनी बार अप्लाई किया जा सकता है?

एक ही संगठन में एक से अधिक RTI दर्ज करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने में नागरिकों के पास अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग आपके सामान्य ज्ञान के लिए और छोटे मुद्दों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसा करने से अधिकारियों पर जानकारी देना का बोझ बढ़ेगा। इससे अन्य आवेदकों को समय से जानकारी परेशानी हो सकती है। हर सरकारी संगठन को एक कर्मचारी को एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) के रूप में नियुक्त करने की जरूरत होती है। एक बार विभाग को RTI की अपील मिलने के बाद आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना देना PIO की जिम्मेदारी होती है।

❖ किस प्रकार की जानकारी ली जा सकती है?

सूचना का अर्थ किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और सूचना से संबंधित जानकारी शामिल है। इसके तहत पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाली निजी संस्थाओं से जानकारी मांगी जा सकती है।

BABU SHOBHA RAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR

Received RTI Application Status Report (Session Wise)

S.N.	SESSION	RECEIVED RTI APPLICATION	ACTION TAKEN STATUS
1	2017-18	15	ALL APPLICATION DISPOSED
2	2018-19	12	ALL APPLICATION DISPOSED
3	2019-20	20	ALL APPLICATION DISPOSED
4	2020-21	05	ALL APPLICATION DISPOSED
5	2021-22	09	ALL APPLICATION DISPOSED
6	2022-23	22	ALL APPLICATION DISPOSED

दवाईयां
दवाईयां

NYC

NOT ME
BUT YOU

Sport's Week

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
BABU SHOBHARAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR
RTI
सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
BABU SHOBHARAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR
सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION
RTI
समन्वयक
Convener
23
JORDAN

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
BABU SHOBHARAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR
सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION
RTI
समन्वयक
Convener
JORDAN

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
BABU SHOBHARAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR
RTI
सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर
BABU SHOBHARAM GOVT. ARTS COLLEGE, ALWAR
RTI
सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

THANK - YOU